न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1461-तीन/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 13-6-2006 पारित व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 47/2001-02 अपील

1- हरप्रसाद पाण्डेय
2- रामविश्वास पाण्डेय
3- अनिरूद्ध प्रसाद पाण्डेय
ग्राम दादर तहसील हुजूर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ----अपीलांट्स

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पा0

(अपीलांट्स के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 07-6-2017 को पारित)

यह अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 47/2001--02 अपील में पारित आदेश दिनांक 13--6--2006 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि खनिज निरीक्षक ने ग्राम दादर तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1498 एंव 1499 के स्थल निरीक्षण पर पाया कि अपीलांट्स् ने इस भूमि में से 1500 टन सोलिंग पत्थर का अवैध उत्खनन किया है। खनिज निरीक्षक व्दारा अवैध उत्खनित पत्थर जप्त कर खनिज अधिकारी रीवा

को रिपोर्ट प्रस्तुत की। खनिज अधिकारी रीवा ने अपर कलेक्टर रीवा को तदाशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से अपर कलेक्टर रीवा ने अपीलांट्स के विरूद्ध प्रकरण कमांक 56/अ-67/1994-95 पंजीबद्ध किया तथा बचाव प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलांट्स सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से अपर कलेक्टर रीवा ने एकपक्षीय कार्यवाही कर शासन पक्ष की साक्ष्यांकित की तथा आदेश दिनांक 10-8-2001 पारित किया एंव अवैध उत्खनिज खनिज का बाजार मूल्य 1,50,000/- निर्धारित कर दोगुणी राशि 3,00,000/- रू. की शास्ति अधिरोपित की। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 47/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-6-2006 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलांट्स के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट्स के अभिभाषक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर रीवा ने अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है तथा विधिवत् सूचना नहीं दी है एंव सुनवाई का अवसर नहीं दिया है । आयुक्त, रीवा संभाग ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर अपीलांट्स को बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे।

अपीलांट्स के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर रीवा ने प्राप्त प्रतिवेदन पर से अपीलांट्स के विरूद्ध प्रकरण कमांक 56/अ-67/1994-95 पंजीबद्ध किया है एंव अपीलांट्स को सुनवाई हेतु सूचना पत्र भेजकर आहुत किया है। अपीलांट्स अपर कलेक्टर के समक्ष अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हुये हैं एंव अपीलांट्स के अभिभाषक अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होते रहे हैं किन्तु वाद में जानबूझकर

अनुपस्थित हो गये, जिसके कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई है। अभिभाषक को प्रकरण की जानकारी होना - यही माना जावेगा कि पक्षकार को प्रकरण की जानकारी है। अपीलांट्स एंव उनके अभिभाषक के अनुपस्थित होने पर अपर कलेक्टर रीवा ने एकपक्षीय कार्यवाही की है। तदुपरांत हलका पटवारी के एंव शासन पक्ष के अन्य साक्षियों के कथन अंकित किये है किन्तु संपूर्ण कार्यवाही के दौरान अपीलांट्स एंव उनके अभिभाषक ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अपर कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में आगे क्या कार्यवाही हो रही है जिसके कारण द्वित्तीय अपीलीय न्यायालय में यह तर्क व्यर्थ है कि अपीलांट्स को अपर कलेक्टर रीवा ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया है।

5/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपीलांट्स ने ग्राम दादर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1498 एंव 1499 में से 1500 टन सोलिंग पत्थर का अवैध उत्खनन किया है, जो शासन पक्ष की साक्ष्य से प्रमाणित है । अपर कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 56/अ-67/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 10-8-2001 को इन्हीं कारणों से आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 10-8-01 एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 13-6-2006 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 47/2001-02 अपील में पारित आदश दिनांक 13-6-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर